

अधिसूचना

इंजी० विभाग/हाजीपुर में मासिक पारिश्रमिक के आधार पर पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलो/यूनिटों से P.Way संवर्ग से रेल सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी को पूर्णतः अस्थाई रूप से पुनर्नियोजन (Re-engagement) के संबंध में।

रेलवे बोर्ड के पत्र सं. E(NG)II/2024/RC-4/9 Dt. 15.10.2024, 31.12.2024 & 20.06.2025 (RBE No 96/2024, 115/2024 & 55/2025) एवं महाप्रबंधक(का.)/पूरमे/हाजीपुर का पत्र सं. ECR-HQ0PERS(RULE)/0002/2025 (310264) Dt. 22.01.2025 के निर्देशानुसार पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलो/यूनिटों से इंजी० विभाग के P.Way संवर्ग से रेल सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी को इंजी० विभाग/हाजीपुर में पूर्णतः अस्थाई रूप से पुनर्नियोजन(Re-engagement) करने का निर्णय लिया गया है। अधिसूचना हेतु पदों का विवरण निम्नवत है :

क्रम सं.	पद का नाम	पे-लेवल	पदों की संख्या
01	Senior Section Engineer(P.Way)	Level-07	03
Total Post			03

पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलो/यूनिटों से P.Way संवर्ग के वैसे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों को पूरा करते हो, से अनुलग्नक-"A" के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। उपरोक्त पदों पर पुनर्नियोजन हेतु आवेदन करने के लिये पात्रता शर्तें नीचे दी गई हैं :-

1. वेतन लेवल-7 से वेतन लेवल-9 तक के सेवानिवृत्त गैर-राजपत्रित रेल कर्मचारी, सेवानिवृत्ति के समय जिस वेतन लेवल से सेवानिवृत्त हुए थे, समान वेतन लेवल वाले रिक्त पदों हेतु आवेदन करने के लिए पात्र है।
2. अधिसूचित पद हेतु उसी संवर्ग से समान पे लेवल अथवा उससे तीन उच्चतर पे लेवल से सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी आवेदन करने हेतु पात्र है। पुनर्नियोजन हेतु समान वेतन स्तर से सेवानिवृत्त हुए और उपयुक्त पाए जाने वाले कर्मचारियों को उच्च वेतन स्तर से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के उपर वरीयता (Preference) दी जाएगी।
3. वैसे कर्मचारी जो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त/पदच्युत या सेवा से बर्खास्त किये गये हो तथा संरक्षा संबंधित सेवानिवृत्त योजना(SRSS)/संरक्षा कोटियों पर लागू उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृत्त योजना(LARSGESS) के अंतर्गत स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुए हों, वैसे कर्मचारी आवेदन करने के लिये पात्र नहीं होंगे।
4. आवेदित पद के लिये निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में फिट पाए जाने पर ही अंतिम रूप से पुनर्नियोजित किया जायेगा।
5. Re-engagement के लिए आवेदन देने वाले सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के अंतिम 5 वर्षों का APAR पर विचार किया जाएगा और सभी 05 वर्षों में कम से कम "Good" ग्रेडिंग अर्हत रखने वाले कर्मचारियों के Re-engagement पर ही विचार किया जाएगा।(RBE No. 96/2024, dt. 15.10.2024)
6. सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियोजन के लिये अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी।
7. Re-engagement के लिए आवेदन देने वाले सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को डीएआर/सतर्कता मामलों(D.A.R/SPE Vig.Cases) से मुक्त होना अनिवार्य है।

Handwritten signature and date 23/12/25

8. सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 01 वर्ष की अवधि या Scheme की वैधता तक या उक्त पद के विरुद्ध नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक या कार्य की समाप्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी। हालांकि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर, उसकी नियुक्ति अवधि को 01 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिये बढ़ाया जा सकता है।
9. Re-engaged सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पारिश्रमिक, भत्ते और छुट्टियां Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India द्वारा जारी OM No. F.No.3-25/2020-E.IIIA, दिनांक 09.12.2020 तथा रेलवे बोर्ड के RBE No. 96/2024 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार निम्नानुसार होंगी:-
 - (क) अनुबंध अवधि के दौरान पारिश्रमिक के रूप में निश्चित मासिक राशि स्वीकार्य होगी, जो सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन से मूल पेंशन काटकर निकाली जाएगी। इस प्रकार निर्धारित पारिश्रमिक की राशि अनुबंध की पूर्ण अवधि तक के लिए अपरिवर्तित होगी।
 - (ख) अनुबंध की अवधि के दौरान वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता और आवासीय भत्ता देय नहीं होगी अथवा इसका दावा करने की अनुमति नहीं होगी।
 - (ग) निवास और कार्यस्थल के बीच आवागमन के प्रयोजन के लिए परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित और निश्चित राशि की अनुमति दी जा सकती है, जो सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के समय पर लागू दर से अधिक नहीं होगी। Re-engagement की अवधि के दौरान निर्धारित राशि पूर्ण अवधि में अपरिवर्तित रहेगी। हालांकि, आधिकारिक दौरे पर TA/DA (यदि कोई हो), सेवानिवृत्ति के समय के पात्रता के अनुसार देय होंगी।
 - (घ) Re-engagement के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 1.5 दिन की दर से सवैतनिक अनुपस्थिति अवकाश की अनुमति दी जाएगी। एक कैलेंडर वर्ष से अधिक अवकाश संचय की अनुमति नहीं दी जाएगी।
10. पुनर्नियोजित किये जाने वाले कर्मचारी का मासिक पारिश्रमिक उसके/उसकी अंतिम आहरित वेतन से पेंशन राशि घटाकर (Deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement) नियत मासिक राशि संविदा अवधि के दौरान देय होगा। संविदा अवधि में नियत पारिश्रमिक राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा संविदा अवधि के दौरान वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता एवं एच.आर.ए. देय नहीं होगा।
11. आवेदक की उपयुक्तता/योग्यता का निर्णय Re-engagement के लिए विधिवत गठित समिति द्वारा किया जाएगा। Re-engagement का निर्णय आवश्यकता के गुण-दोष और कार्य के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता के आधार पर किया जाएगा।
12. इंजीनियरिंग विभाग/हाजीपुर के लिए चयनित उम्मीदवारों की पदस्थापना का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात, चयनित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निर्धारित तिथि के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा उनका चयन रद्द कर दिया जाएगा।
13. Re-engaged सेवानिवृत्त कर्मचारी किसी भी अनुभाग/इकाई के प्रभारी नहीं होंगे तथा उन्हें वित्तीय और डी एंड एआर(D&AR) शक्तियां प्रदत्त नहीं होंगी साथ ही साथ वो किसी भी प्रकार के सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यद्यपि वो वित्तीय और अन्य मामलों पर अपने सुझाव नियमित रूप से सेवारत कर्मचारी/अधिकारी को दे सकते हैं।
14. आरआरबी/आरआरसी से चयनित उम्मीदवार या स्थानान्तरण/पदोन्नति पर नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने पर पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया जायेगा।
15. प्रशासन पुनर्नियोजित कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं यदि उनका प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त किया जा सकता है।

4/12/24
23/12/24

16. Re-engaged सेवानिवृत्त कर्मचारी के सामान्य ड्यूटी घंटे वहीं होंगे, जो संबंधित पद पर कार्यरत अन्य कर्मचारियों पर सामान्य रूप से लागू होते हैं।
17. ऐसी पुनर्नियोजन की अवधि को किसी भी प्रायोजन के लिये सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा जैसा कि नियमित सेवारत कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है।
18. कर्मचारियों की पुनर्नियोजन पीएलबी या किसी अन्य अतिरिक्त लाभ के लिये पात्र नहीं होंगे।
19. पुनर्नियोजित कर्मचारियों को इसीएस पीडब्ल्यू भुगतान के तहत किसी भी कवरेज के लिए कवर नहीं किया जाएगा।
20. ग्रेच्यूटी अधिनियम या रेलवे सेवा के लिए स्वीकार्य कोई अन्य वैधानिक अधिनियम पुनर्नियोजित कर्मचारी पर लागू नहीं होगा।
21. पुनर्नियोजित कर्मचारी किसी भी कल्याण योजना अर्थात् सीजीए के अंतर्गत कवर नहीं होंगे।
22. पुनर्नियोजित कर्मचारी नियमित कर्मचारी की तरह स्वीकार्य किसी भी अग्रिम के हकदार नहीं होंगे।
23. यदि पुनर्नियोजित कर्मचारी के कारण रेल प्रशासन को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति होती है तो यह राशि उस कर्मचारी को रेलवे खाते में जमा करना होगा अन्यथा इसे देय पेंशन रिलीफ से समायोजित कर लिया जाएगा।
24. पुनर्नियोजित कर्मचारी से Cash Handling का कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा।
25. किसी भी प्रकार के अनुशासनहीनता कर्तव्यों के प्रति शिथिलता तथा रेल सेवा आचरण नियम के उल्लंघन के दोषी पाये जाने पर बिना किसी नोटिस, Show Cause या Explanation के इनकी सेवा को समाप्त किया जा सकता है।
26. पुनर्नियोजित कर्मचारी इस बात का स्मरण रखेंगे कि आपकी पुनर्नियोजन पूर्णतः अस्थाई है।
27. आपके पुनर्नियोजन से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी समस्त विनिर्दिष्ट नियम आप पर लागू होंगे तथा भविष्य में भी समय-समय पर पुनर्नियोजन से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नियमों/उपनियमों के तहत आपकी पुनर्नियोजन संचालित होगी तथा आप इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे।
28. चयनित कर्मचारियों को उनके संबंधित शाखा अधिकारी/वरिष्ठ पर्यवेक्षकों द्वारा उनके लिए निर्धारित कार्यों को पूरा करना अनिवार्य होगा।
29. आरआरबी/आरआरसी से चयनित उम्मीदवारों के शामिल होने या नियमित पदस्थापना पर कर्मचारियों का स्थानान्तरण/पदोन्नति पर या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या पद अभ्यर्पण के कारण या जनशक्ति नियोजन के कारण प्रशासन को सेवाओं की आवश्यकता नहीं है एवं पुनर्नियोजित कर्मचारी को सेवा में निरंतरता का अधिकार नहीं होगा।
30. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. E(NG)II/2024/RC-4/9 Dt. 15.10.2024, 31.12.2024 & 20.06.2025 (RBE No 96/2024, 115/2024 & 55/2025) और समय- समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्गत संशोधन पत्र के अनुसार संविदा आधार पर पुनर्नियोजित मामले डील किये जाएंगे।
31. पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर के पास पुनर्नियोजन के किसी भी स्तर पर आवेदक की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, यदि आवेदन में कोई अनियमितता/कमी पायी जाती है।
32. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13.01.2026 है।

Yam
27/1/25

33. पूर्व मध्य रेल के वेबसाइट: www.ecr.indianrailway.gov.in से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुनर्नियोजन संबंधी अधिसूचना एवं अन्य कोई जानकारी को डाउनलोड किया जा सकता है।

(Click to Hajipur HQ > Personnel > Notification)

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व:अभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न होनी चाहिए:-

1. सेवा प्रमाण पत्र
2. पेंशनभोगी पहचान पत्र
3. पेंशन भुगतान आदेश
4. अंतिम वेतन पर्ची
5. बैंक पासबुक की छायाप्रति
6. नवीनतम छ: पासपोर्ट साइज फोटो (03 माह से अधिक पुरानी नहीं हो)
7. आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति
8. शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता की छायाप्रति

अतः पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटों से सेवानिवृत्त वैसे कर्मचारी जो उपरोक्त सभी नियमों एवं शर्तों को पूरा करते हों एवं सहमत हो तो वे अपना आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा अनुलग्नक - "A" के माध्यम से सभी वांछित प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दिनांक 13.01.2026 तक महाप्रबंधक (कार्मिक)/पूरमे/ हाजीपुर कार्यालय में जमा करेंगे, जिसमें लिफाफा पर सबसे उपर में पुनर्नियोजन हेतु आवेदित पद का उल्लेख करते हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 13.01.2026 के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन भेजने का पता: महाप्रबंधक(कार्मिक), पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर-844101

(प्रकाश कुमार सिंह)
सहायक कार्मिक अधिकारी/ईएसएम
कृते महाप्रबंधक(कार्मिक)

सं. ECR-HQ0PERS(ENGG)/0011/2025-(Com.No.342513) दिनांक 23.12.2025

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर प्रेषित:

- महाप्रबंधक(इंजी0)/पूरमे/ हाजीपुर
- Secy to CAO/Con/North को CAO/Con/North महोदय के सादर सूचनार्थ।
- Secy to CAO/Con/South को CAO/Con/South महोदय के सादर सूचनार्थ।
- मुप्रअ/निर्माण/आरएसपी/महेन्द्रघाट महोदय के सादर सूचनार्थ।
- मुप्रअ/जीएलपी/दानापुर महोदय के सादर सूचनार्थ।
- प्रविस/पूरमे/ हाजीपुर, विसमुलेधि/नि0/पूरमे/महेन्द्रघाट, पटना।
- मुख्य कारखाना प्रबंधक/सडिमका/हरनौत, यंत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं प्लांट डिपो/डीडीयू।
- सभी मुइ/निर्माण/पूरमे।
- मंरेप्र(का.)/पूरमे/दानापुर, सोनपुर, डीडीयू, समस्तीपुर एवं धनबाद।
- वरि.मंडल वित्त प्रबंधक/पूरमे/ दानापुर, सोनपुर, डीडीयू, समस्तीपुर एवं धनबाद।
- सकाधि/एमपीपी - for uploading on Website of ECR.
- सचिव/ईसीआरईयू, एस-एसटी/ओबीसी एसो./पूरमे/ हाजीपुर।

कृते महाप्रबंधक(कार्मिक)

अनुलग्नक-A

पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलो/यूनिटों से P.Way संवर्ग से रेल सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी को इंजी० विभाग/हाजीपुर में पूर्णतः अस्थाई रूप से पुनर्नियोजन हेतु आवेदन।

अधिसूचना सं. ECR-HQ0PERS(ENGG)/0011/2025-(Com.No.342513) दिनांक 23.12.2025

आवेदित पद का नाम : Senior Section Engineer(.....)

सेवा में,

महाप्रबंधक(कार्मिक)

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर-844101

मैं पूर्व मध्य रेल के इंजी० विभाग/हाजीपुर में उपरोक्त अधिसूचना में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर पुनर्नियोजन हेतु आवेदन करता/करती हूँ। मेरा सेवा विवरण निम्नवत है:

1. नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. सेवानिवृत्त के समय धारित पद:
4. किस मंडल/विभाग/यूनिट से सेवानिवृत्त हुए:
5. जन्म तिथि :
6. नियुक्ति तिथि :
7. सेवानिवृत्त तिथि :
8. शैक्षणिक योग्यता :
9. पे बैंड+ग्रेड पे/पे लेवल(सेवानिवृत्ति के समय) :
10. आवेदित कोटि संवर्ग में की गई सेवा अवधि :
11. यदि सामान्य सेवानिवृत्ति के अलावे सेवानिवृत्त हुए हैं तो निम्न पर चिन्ह लगावे:

Voluntary Retirement	Compulsory Retirement	LARSGESS/SRSS	Other

Self Attested
Photograph of Retd.
Railway Employee.

(Sign across)

12. पत्राचार का पता(पिन नम्बर सहित) :

13. मोबाईल नम्बर :
14. मेल आईडी :
15. बेसिक पेंशन :
16. सेवानिवृत्ति के समय मेडिकल कोटि :
17. पीपीओ नंबर :

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

1. सेवा प्रमाण पत्र
2. पेंशन पहचान पत्र
3. पेंशन भुगतान आदेश
4. अंतिम वेतन पर्ची
5. बैंक पासबुक की छायाप्रति
6. नवीनतम छः पासपोर्ट साइज फोटो
7. आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति
8. शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता की छायाप्रति

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही हैं। यदि किसी प्रकार की गलत सूचना पाया जाता है तो मैं दंडात्मक कार्रवाई के लिये उत्तरदायी हूँ। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि अधिसूचना में दिए गए निर्धारित नियमों एवं शर्तों को निष्ठापूर्वक पालन करूंगा/करूंगी। मैं SRSS/LARSGESS एवं Medical unfit for all categories से सेवानिवृत्त नहीं हुआ/हुई हूँ। बिना किसी पूर्व सूचना के/बिना कोई स्पष्टीकरण या कारण बताए मेरा पुनर्नियोजन समाप्त किया जा सकता है।

दिनांक :

सेवानिवृत्त कर्मचारी का हस्ताक्षर

23/12/25